विधि (विधि रचना संगठन) विभाग

विधि और न्याय व्यवस्था प्रकोष्ठ

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 12, 1977

राजस्थान विधियां (सिरोही में लागू होना) अधिनियम, 1953

(1953 का अधिनियम संख्या 3)

[राष्ट्रपति को अनुमति 29 जनवरी, 1953 को प्राप्त हुई]

कतिपय राजस्थान विधियों को सिरोही में लागू किए जाने की घोषणा के लिए अधिनियम ।

यतः कतिपय राजस्थान विधियों के सिरोही में लागू होने के बारे में संदेह उत्पन्न हुए हैं, और यतः ऐसे संदेहों का इस निमित्त स्पष्ट घोषणा द्वारा निराकरण करना समीचीन है:--

राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः--

1. संक्षिप्त नाम:- इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां (सिरोही में लागू होना) योधनियम, 1953 है ।

2. परिभाषाएं:- इस अधिनियम,-

(1) 'नियत दिन' से 26 जनवरी, 1950 अभिप्रेत है।

(2) 'सिरोही' से भूतपूर्व भारतीय सिरोही राज्य के वे क्षेत्र अभिप्रेत है जिनका विलय गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1935 की धारा 290-क के अधीन किए गए स्टेट्स मर्जर (बाम्बे) ऑर्डर, 1950 के अधीन बम्बई राज्य में नहीं किया गया था, जिनका प्रशासन एक्स्ट्रा प्राविन्शियल जुरिसडिक्शन एक्ट, 1947 की धारा-3 की उप-धारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना सा-20/पी, दिनांक 24 जनवरी, 1950

द्वारा राजस्थान सरकार को प्रत्यायोजित कर दिया गया है, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा 25 जनवरी, 1950 के अपराह्न में ले तथा संभाल लिया गया है तथा जो नियत दिन से ही, भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग-ख के आधार पर राजस्थान राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट हैं।

3. कतिपय राजस्थान विधियों का सिरोही में लागू होना:--इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान विधियां, जहां तक वे भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और III में प्रगणित किन्हीं भी मामलों से संबंधित है, सिरोही एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर, 1948 में या किसी भी अन्य विधि या लिखत में किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, सिरोही में लागू होंगी और नियत दिन से ही लागू हुई समझी जायेंगी:

परन्तु ऐसी विधियों का सिरोही में लागू होना किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उसके द्वारा की गई किसी भी बात या किये गये किसी भी लोप को बाबत ऐसी विधि के अधीन किसी दण्ड या शास्ति का भागी बनाने वाला नहीं समझा जायेगा।

4. कतिपय तत्समान विधियों का निरसन: यदि नियत दिन के ठीक पूर्व, धारा 3 के अधीन सिरोही में लागू की गई किन्हीं विधियों के समान कोई विधि सिरोही में प्रवृत्त थी तो ऐसी विधि नियम दिन को निरसित हुई समझी जायगी।

5. व्यावृत्ति :-- (1) नियत दिन के ठीक पूर्व सिरोही में प्रवृत्त किसी तत्समान विधि का धारा 4 द्वारा निरसन-

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि से पूर्व-प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात, या

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, उद्भूत या उपगत किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड, या

(घ) यथापूर्वक्ति किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार-

को प्रभावित नहीं करेगा; तथा ऐसा कोई अन्वेषण विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया, चालू रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा तथा ऐसी कोई शास्ति समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानों यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, एतद्वारा निरसित किसी विधि के अधीन (की गई किसी नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, आदेश, अनुदेश या निदेश, बनाये गये नियम, विनिमय, प्ररूप, उपविधि या योजना, अभिप्राप्त प्रमाण-पत्र, अनुदत्त अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) की गई या की गई तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा सिरोही में लागू किये जाने के लिए घोषित किसी तत्समान राजस्थान विधि के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि उक्त राजस्थान विधि के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्टित न कर दी जाए।

6. कठिनाइयों के निराकरण के लिए न्यायालयों तथा अन्य प्राधिकरणों की शक्ति- इस अधिनियम द्वारा सिरोही में लागू किए जाने के लिये घोषित किसी विधि के सिरोही में लागू किये जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण किसी ऐसी विधि का अर्थ, सार को प्रभावित न करने वाले ऐसे उपान्तरों सहित, इस प्रकार लगा सकेंगे जो न्यायालय, अधिकरण

या अन्य प्राधिकरण के समक्ष के किसी मामले के अनुकूलन में आवश्यक या उचित हो ।

7. निर्वचनः- केन्द्रीय विधान मण्डल के साधारण खण्ड अधिनियम, 1997 के उपबन्ध, यावत्शव्य, यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम पर वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी केन्द्रीय अधिनियम पर लागू होते हैं।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

सिरोही में लागू की गई विधियों की सूची

1. राजस्थान गजट (राजपत्र) आर्डिनेन्स (1949 का सं. 2)
2. राजस्थान पुलिस (इन्टिग्रेशन) आर्डिनेन्स (1949 का सं. 3)
3. राजस्थान रिमूवल आफ ट्रीज (रेग्यूलेशन) आर्डिनेन्स (1949 का सं. 8)
4. राजस्थान प्रोटेक्शन आफ टिनेन्ट्स आर्डिनेन्स (1949 का सं. 9)
5. राजस्थान प्रीमिजेज (रिक्यूजीशन एण्ड इविक्शन) आर्डिनेन्स (1949 का सं.11)
6. राजस्थान टेरिटोरियल डिविजन्स आर्डिनेन्स (1949 का सं. 20)
7. राजस्थान बोर्ड आफ रेवेन्यू आर्डिनेन्स (1949 का सं. 22)
8. राजस्थान ड्रेमेटिक परफोरमेन्सेज एण्ड इन्टरटेनमेन्ट्स आर्डिनेन्स (1949 का सं. 29)
9. राजस्थान ड्रग्स (कंट्रोल) आर्डिनेन्स (1949 का सं. 31)
10. राजस्थान रेन्वेयू कोट्स (डेजिग्नेशन) आर्डिनेन्स (1949 का सं. 36)
11. राजस्थान रेल्वे स्टोर्स (अनलाफुल पजेशन) आर्डिनेन्स (1949 का सं. 42)
12. राजस्थान स्पेशियल क्रिमिनल कोट्र्स आर्डिनेन्स (1949 का सं. 46)

13. राजस्थान सिनेमोटोग्राफ आर्डिनेन्स (1949 का सं. 47)

14. राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आर्डिनेन्स (1949 का सं. 48)

15. राजस्थान अवोइडेन्स आफ वेजर्स आर्डिनेन्स (1950 का सं. 3)

16. राजस्थान एडेप्टेशन आफ सेन्ट्रल लाज आर्डिनेन्स (1950 का सं. 4)

17. राजस्थान सिविल कोर्ट्स आर्डिनेन्स (1950 का सं. 7)

18. राजस्थान स्माल काज कोर्ट्स आर्डिनेन्स (1950 का सं. 8)

19. राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (अडेप्टेशन) आर्डिनेन्स (1950 का सं. 9)

रणवीर सहाय वर्मा,
विधि सचिव ।